



कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ-226001
दूरभाष एवं फ़ैक्स नम्बर:-0522-2624071

पत्रांक:5939 / ल0क्षे0 / क्षे0प्र0 / स्था0 / सं0 / परि0-भर्ती / 2019 दिनांक.25.09.2019

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ क्षेत्र के अंतर्गत डिपो में बस संचालन हेतु संविदा परिचालको को आबद्ध किया जाना है, संविदा परिचालको की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है-

1. रिक्तियों का विवरण :-

क्षेत्र	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	कुल रिक्तियों	साईट खुलने की तिथि एवं समय	साईट बन्द होने की तिथि एवं समय
लखनऊ	18	02	23	42	85	27.09.19	07.10.19

उक्त रिक्तियों के आधार पर संविदा परिचालको हेतु निम्न विवरण अनुसार आनलाईन पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्तियों की संख्या परिवहन निगम मुख्यालय के अनुमोदन अनुसार घटायी व बढ़ायी जा सकती हैं।

1. आयु सीमा :-

अभ्यर्थी की आयु 01.09.2019 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष अनुसूचित जाति व जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आयु सीमा में 05 वर्ष सम्बन्धित शासनादेश के अनुसार छूट अनुमन्य होगी व भूतपूर्व सैनिकों को आयु सीमा में उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार छूट दी जायेगी। प्रशिक्षण उपरान्त कार्य ग्रहण से पूर्व परिचालक लाईसेन्स की धारिता अनिवार्य होगी। प्रशिक्षण उपरान्त चयनित अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम 02 सप्ताह में अनिवार्यतः कार्य प्रारम्भ करना होगा। अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

2. योग्यतायें :-

अभ्यर्थी इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा बिन्दु सं0-03 में उल्लिखित कम से कम एक स्रोत का योग्यता रखता हो।

3. स्रोत्र

- (1) निगम सेवा के दौरान मृतक नियमित/संविदा कर्मचारियों के आश्रित।
- (2) उ0प्र0 परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी (जिनकी आयु 65 वर्ष से कम हो)
- (3) भूतपूर्व सैनिक।
- (4) अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त कर्मचारी।
- (5) एन0सी0सी0 के "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी।
- (6) इण्डरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने निलिट संस्था से ए लेवल का कम्प्यूटर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो।

(7) इण्डरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने केन्द्र सरकार/राज्य सरकार में मान्यता प्राप्त संस्थाओं से आई0टी0आई0 का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो।

यदि उपरोक्त 07 स्त्रोतों में से पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होते हैं तो स्त्रोत्र संख्या-08 से भी संविदा परिचालक आबद्ध किए जा सकते हैं-

(8) इण्डरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने निलिट संस्था से ओ लेवल का कम्प्यूटर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो।

4. परिवहन निगम से सेवा से पृथक किये जा चुके या किसी कदाचार के कारण संविदा से हटाये गये कार्मिक इस आबद्धीकरण हेतु अर्ह नहीं होंगे।

5. आवेदन करने की प्रक्रिया

अभ्यर्थी www.upsrtc_recruitment पर जाकर अपने आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

6. आवेदन शुल्क का विवरण

1	सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	रु0 200/-
2	अनुसूचित जाति/जनजाति/भूतपूर्व सैनिक	रु0 100/-
3	उ0प्र0रा0स0परि0 निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी/मृतक आश्रित	निःशुल्क

7. ऑनलाईन आवेदन के लिये आवेदन शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इण्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा किया जा सकता है, वेरिफिकेशन के समय फीस जमा रसीद व आवेदन तथा उसके संलग्नकों की DOWNLOADED प्रतियाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8. संविदा परिचालक के आवेदित अभ्यर्थियों की इण्टरमीडिएट के प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची वर्गवार अलग-अलग तैयार की जायेगी इसी सूची के आधार पर ही क्षेत्र में रिक्तियों के अनुसार संविदा पर परिचालकों के आबद्धीकरण की कार्यवाही की जायेगी। बराबर परीक्षा प्राप्तक प्रतिशत पाने की दशा में जिन अभ्यर्थियों की उम्र अधिक है उन्हीं को वरिष्ठ माना जायेगा।

9. चयन के पश्चात् अभ्यर्थी को वेरिफिकेशन के समय संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित एवं मूल प्रति क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ के कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. आरक्षण का लाभ पाने के लिये आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है एवं मूल प्रति वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करनी होगी। उत्तर प्रदेश राज्य से भिन्न राज्यों के मूल निवासी अनारक्षित श्रेणी में ही विचारणीय होंगे।

11. चयनित अभ्यर्थियों को क्षेत्र के किसी भी डिपो में तैनात किया जा सकता है।

12. चयनित अभ्यर्थियों को रु0 10,000/- (दस हजार) प्रतिभूति के रूप में निगम कोष में जमा कराने होंगे, यह राशि आवंटित डिपो में ही जमा होगी इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी किस अन्य संदेश अथवा वाह्य संदेश से कदापि भ्रमित न हो।

13. चयनित संविदा परिचालको को निगम मुख्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरो के अनुसार किमी० के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
14. उपरोक्तानुसार ऑनलाईन आवेदनों की श्रेष्ठता सूची आवेदन दिनांक से मात्र 01 वर्ष हेतु वैध रहेगी तदोपरान्त सूची स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(पी०के बोस)
क्षेत्रीय प्रबन्धक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचा०) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
2. प्रधान प्रबन्धक (कार्मिक) परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. प्रधान प्रबन्धक (आई०टी०) परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० परिवहन निगम।
5. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त/का०) परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र।
6. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, चारबाग/कैसरबाग/आलमबाग/बाराबकी/रायबरेली/उपनगरीय/हैदरगढ़/अवध डिपो एवं बस स्टेशन प्रबन्ध, चारबाग/कैसरबाग/आलमबाग को इस निर्देश के साथ कि इस कार्यालय ज्ञाप को अपने बस स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
7. नोटिस बोर्ड, क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय लखनऊ।

(पी०के बोस)
क्षेत्रीय प्रबन्धक



कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ-226001
दूरभाष एवं फ़ैक्स नम्बर:-0522-2624071

पत्रांक:5940 / ल0क्षे0 / क्षे0प्र0 / स्था0 / सं0 / परि0-भर्ती / 2019 दिनांक. 25.09.2019

प्रेस विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लखनऊ क्षेत्र में अनुबन्ध के आधार पर 85 संविदा परिचालको (अनारक्षित वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) के आबद्धीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन www.upsrtc_recruitment पर इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण एवं निर्धारित 08 स्त्रोत/प्रमाणपत्र प्राप्त (सूची निगम वेबसाईट पर उपलब्ध) अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक 27.09.2019 से समय 10:00 बजे से प्रारम्भ होकर दिनांक 07.10.2019 को सांय 17:00 बजे बन्द हो जायेगा।

विस्तृत विवरण परिवहन निगम की वेबसाईट www.upsrtc.com पर तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम लखनऊ क्षेत्र के कार्यालय एवं समस्त डिपोज (चारबाग/कैसरबाग/आलमबाग/अवध/उपनगरीय/हैदरगढ़/रायबरेली एवं बाराबंकी) के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है।

(पी0के बोस)
क्षेत्रीय प्रबन्धक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रबन्ध निदेशक महोदय परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचा0) परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. प्रधान प्रबन्धक (का0) परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4. जिला सवायोजन अधिकारी, लखनऊ/बाराबंकी एवं रायबरेली।
5. जनसम्पर्क अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को इस आशय से कि लखनऊ एवं अन्य स्थानों के समाचार पत्रों में उक्त विज्ञप्ति प्रकाशित कराना चाहें।
6. स्थानीय सम्पादक, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, चारबाग/कैसरबाग/आलमबाग/बाराबंकी/रायबरेली/उपनगरीय/हैदरगढ़/अवध डिपो एवं बस स्टेशन प्रबन्ध, चारबाग/कैसरबाग/आलमबाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति अपने बस स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें। सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, बाराबंकी एवं रायबरेली डिपो अपने स्तर से जिले के प्रमुख समाचार पत्रों में उक्त विज्ञप्ति निःशुल्क प्रकाशित कराते हुये व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें।
8. मे0 आयुषी कम्प्यूटर्स प्रा0लि0, बी-112, सरस्ती मार्ग, बजाज नगर, जयपुर को सूचनार्थ एवं इस आशय से कि उपरोक्तानुसार तथा संलग्न पत्र में वर्णित निर्देशों को अपनी वेबसाईट तथा परिवहन निगम की वेबसाईट पर लोड करने के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
9. नोटिस बोर्ड, क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय लखनऊ।

(पी0के बोस)

क्षेत्रीय प्रबन्धक